न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस
पत्रावली संख्या : 78 / 22 (प्रा0पत्र)
GCMS No. : 2022 / 273

अनवान

1. श्री जगदीश जणवा पिता भेरूलाल (मुतमना छाप) निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजमल पिता हिरालाल जी जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
2. श्री लक्ष्मीलाल पिता हिरालाल जी जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
3. श्रीमती लहरीबाई पत्नी हिरालाल जी जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्रीमती लीला पुत्री हिरालाल जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज ।
5. श्रीमती सन्तोष पत्नी जगदीशचन्द्र जणवा निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
6. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

विपक्षीगण

उपस्थित–

1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांकः–27.03.2025

1. प्रार्थी ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज में साबिक आराजी न 322 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा स्थित होकर श्री हिरालाल मु. सुखलाल जी जणवा सा देह के नाम खातेदारी हक से अंकित थी। उक्त वर्णित आराजी न 322 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि में एक निजी कुआ था जो सेटलमेंट के समय से चला आ रहा था। उक्त आराजी न. 322 एवं इस पर स्थित निजी कुआ के एक मात्र खातेदार हिरालाल मु. सुखलाल जणवा होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी होने से यह आराजी न. 322 एवं इस पर स्थित कूए को अपनी ईच्छा अनुसार रहन बेह बक्षीस आदि तरिको से हस्तान्तरित करने का पूर्ण अधिकार था।
2. यह कि आराजी न. 322 रकबा [illegible] दार हिरालाल मु सुखलाल ने 10 / 24 हिस्सा यानि 10 विस्वा [illegible] स 10 / 24 हिस्सा भूमि पर स्थित कुआ संपूर्ण को हिरा[illegible] अदायगी करने के लिए हिरालाल मु. सुख[illegible] द्वारा [illegible]क 22.11.2011 को उदा पिता तारू जणवा को विक्रय कर[illegible] 22.11.2011 को विक्र[illegible] का निष्पादन करवाया एवं दिनांक 23.11.2011 को [illegible]रालाल मु सुखलाल ने उदा पिता तारू जाति जणवा निवासी खेरोदा के पक्ष में विक्रय पत्र को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:24 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] ने क्रेता उदा को विक्रित 10/24 हिस्सा
पंजियन द्वारा विक्रेता हिरालाल के उक्त भूमि पर स्थित कुआ के सम्पूर्ण भाग पर
कि 10 बिस्वा भूमि एवं उक्त भूमि पर स्थित कुआ जी के नाम 14/24 हिस्सा शेष
सिपुर्द कर दिया एवं विक्रेता हिरालाल जी के वादी के गोद पिता होने से उ[illegible]
उदा उर्फ उदयलाल पिता जी जगावा जी के वादी के 10/24 हिस्सा सम्पूर्ण
उक्त आराजी न 322 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का वादी को दिनांक 26.07.2018 को रजि[illegible]
उस पर स्थित कुए का सपूर्ण भाग वादी को कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से उक्त दान
दान पत्र के आधार पर दान से कब्जा के सम्पूर्ण भाग पर वादी का कब्जा का[illegible]
जाने वाली 10 बिस्वा भूमि एवं कुआ है एवं शेष भूमि के 14/24 हिस्से पर विक्[illegible]
उपयोग उपभोग चला आ रहा है एवं शेष उपयोग उपभोग चला आ रहा था हि[illegible]
हिरालाल मु. सुखलाल का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा था हि[illegible]
हिरालाल जी का निधन हो गया तो विरासत से उक्त भूमि का 14/24 हिस्[illegible]
उसके वारिश प्रतिवादी सं 1 से 4 में हिस्सा बराबर से निहित हुआ और इन[illegible]
हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकित हुआ।

3. यह कि साबिक आराजी न. 322 रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा में विक्रेता हिरालाल का 14/24 हिस्सा शेष रहा था उस हिस्से के उसके वारिश विपक्षी स 1 से 4 स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी हुए एवं विपक्षी स 1 से 4 ने उक्त आराजी न 322 रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा का 8/24 हिस्सा विपक्षी स 5 को दिनांक 22.09.2020 को दान कर दान पत्र का निष्पादन कर दिनांक 29.09.2020 को दान पत्र पंजियन करा बक्षीस सुदा 8/24 हिस्से पर विपक्षी स 5 को कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है एवं शेष 6/24 हिस्से पर विपक्षी स. 1 से 4 का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। हाल ही के वर्षों में सेटलमेंट हुआ जिसमें सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा साबिक खसरा न. 322 के नवीन खसरा न. 675 रकबा 0.1100 है. ख तृतीय, खसरा न. 676 रकबा 0.0100 है. गै.मु. आ.चा. एवं खसरा न 677 रकबा 0.1400 है. चा तृतीय किता 3 रकबा 0.2600 है. कायम किये गये।

4. यह कि प्रार्थनाग्रस्त साबिक खसरा न. 322 के नवीन खसरा न. 675 रकबा 0.1100 है. चा. तृतीय, खसरा न. 676 रकबा 0.0100 है. गै.मु. आ.चा. एवं खसरा न. 677 रकबा 0.1400 है. चा. तृतीय किता 3 रकबा 0.2600 है. की जमाबन्दी का अवलोकन करने पर जानकारी में आया कि साबिक आराजी न. 322 पर सेटलमेंट के बाद हिरालाल जी का जो निजी कुआ था जिसका संपूर्ण भाग जरिये विक्रय विलेख पत्र हिरालाल जी द्वारा उदा जी को विक्रय कर दिया गया था तत्पश्चात उदा जी द्वारा उक्त कुंए के संपूर्ण भाग को प्रार्थी को दान पत्र के जरिये कब्जा सिपूर्द कर दिया जिसके नवीन खसरा न. 676 रकबा 0.0100 है. कायम हुए इस तरह उक्त आराजी चाह न. 676 का प्रार्थी तनहा एक मात्र मालिक, स्वामी, अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है एवं काबीज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त वाद वर्णित आराजी चाह न. 676 रकबा 0.0100 है. का प्रार्थी को एकल खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम अंकित कराया जाना एवं विपक्षीगण स. 1 से 5 का नाम हटाये [illegible] का अधिकारी है।

5. यह कि साबिक खसरा न. 322 रक[illegible] 4 बिस्वा के नवीन खसरा न. 675, 677 किता 2 रकबा 0.2500 है. [illegible] में [illegible] का 5/12 हिस्सा, विपक्षी स. 1 से 4 का 4/16 हि[illegible] 1/3 हिस्सा हक अधिकार है और इसी हक हिस्[illegible] प्रार्थी ए[illegible]पक्षी सं. 1 से 5 काबीज होकर उपयोग उपभोग करते [illegible] न 322 में स्थित कुआ नवीन खसरा न. 676 र[illegible] अन्य आराजीयात के साथ विपक्षी स 1 से 5 का नाम गलत अंकित होने से विपक्षी स. 1 से 5 प्रार्थी के हक व अधिकारों को चुनोती दे रहें है। कुआ की भूमि में भी उनका नाम अंकित होने से वे कुआ से जबरन पिलाई करेंगें एवं कुआ ऐसे लोगो को बेच देगें जो प्रार्थी को बेदखल कर देगा जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:24 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 4, 5 के अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 3, 6 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 3, 6 का जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1, 2 की ओर से जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी न. 322 रकबा 01 बिघा 04 बिस्वा भूमि एव इसमे स्थित कुआ विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता श्री हिरालाल के नाम पर दर्ज था, परन्तु उपरोक्त आराजी न. एव इसमे स्थित कुएं मे पारिवारिक समझौते से श्री हिरालाल का 16/24 हिस्सा एव श्री उदा पिता श्री तारू जणवा का 8/24 हिस्सा था। आराजी न. 322 रकबा 1 बिघा 4 बिस्वा भूमि मे से विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता तथा उपरोक्त आराजी एव कुए मे 16/24 हिस्से के खातेदार काश्तकार एव आधिपत्यधारी श्री हिरालाल जी द्वारा 10/24 हिस्सा यानि 10 बिस्वा भूमि को दिनाक 22.11.2011 को श्री उदा पिता तारूजी जणवा निवासी खेरोदा को विक्रय किया गया एव दिनाक 23.11.2011 को विक्रय शुदा 10/24 हिस्से के विक्रय पत्र का पंजीयन क्रेता श्री उदा के पक्ष मे करवाया गया, यह कथन स्वीकार है तथा श्री उदा द्वारा खरीद किये गये उपरोक्त 10/24 हिस्से को श्री उदा ने प्रार्थी को हस्तान्तरित किया जिससे उपरोक्त 10/24 हिस्से का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है यह कथन भी स्वीकार है प्रार्थी का यह कथन पूरी तरह से गलत होकर अस्वीकार है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता एव उपरोक्त आराजी के खातेदार काश्तकार व आधिपत्यधारी श्री हिरालाल जी द्वारा उपरोक्त आराजी में स्थित सम्पूर्ण कुंए को श्री उदा को विक्रय किया गया हो तथा श्री उदा द्वारा पुन. इस सम्पुर्ण कुए को प्रार्थी को हस्तातरित किया गया हो बल्कि विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता एवं उपरोक्त आराजी के खातेदार काश्तकार एवं आधिपत्यधारी श्री हिरालाल जी द्वारा उपरोक्त आराजी में से अपने 16/24 हिस्से में से विक्रय किये गये 10/24 हिस्से के अनुसार ही कुंए का भी 10/24 हिस्सा ही श्री उदा को विक्रय किया गया एवं श्री उदा द्वारा पुनः कुंए का 10/24 हिस्सा ही प्रार्थी को हस्तांतरित किया हुआ है। श्री उदा को 10/24 हिस्सा विक्रय किये जाने के बाद श्री हिरालाल जी जब तक जीवित रहे, तब तक वह उपरोक्त आराजी के शेष 6/24 हिस्से का एवं इसी हिस्से अनुसार कुंए में भी शेष 6/24 हिस्से का उपयोग-उपभोग काबिज होकर करते रहे एवं श्री हिरालाल जी के मरणोपरान्त उपरोक्त आराजी में 6/24 हिस्से की भूमि के एवं इसी 6/24 हिस्से अनुसार कुए में भी विपक्षी संख्या 1 से 4 विधिक वारिस के रूप में खातेदार काश्तकार बन कर काबिज हुए एवं उपयोग उपभोग करने लग गये।

7. यह कि आराजी न. 322 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि एवं इसमें स्थित कुंए में पारिवारिक समझौते से विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता श्री हिरालाल का 16/24 हिस्सा था तथा श्री उदा का 8/24 हिस्सा था। श्री हिरालाल द्वारा अपने 16/24 हिस्से में से 10/24 हिस्से श्री उदा को विक्रय कर दिया गया तथा इसके बाद श्री हिरालाल का 6/24 हिस्सा शेष रहा। पारिवारिक समझौते से श्री उदा का उपरोक्त आराजी न. व कुएं में जो 8/24 हिस्सा था, वह रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता/पति श्री हिरालाल के नाम पर दर्ज था जो विरासत से विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम पर दर्ज हो गया जिससे आपसी सहमती पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम पर दर्ज हो गया, जिससे आपसी सहमती पत्र के अधार पर विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा श्री उदा के उपरोक्त 8/24 हिस्से को विपक्षी संख्या ... के नाम पर जरिये दान पत्र हस्तांतरित किया गया है एवं शेष 6/24 हिस्से पर विपक्षी संख्या 1 से 4 का कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग ... पूरी तरह से गलत होकर अस्वीकार है कि कथन स्वीकार है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता तथा उपरोक्त साबिक आराजी न. 322 के खातेदार काश्तकार एवं आधिपत्यधारी श्री हिरालाल जी द्वारा सम्पूर्ण कुंआ श्री उदा को विक्रय किया गया हो तथा श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahedya
Date: 2025.07.03 14:28:24 IST
Reason: SelfAttested

उदा द्वारा उपरोक्त सम्पूर्ण कुए यानि कि नवीन खसरा न. 676 रकबा 0.0100 है का प्रार्थी ही एक मात्र मालिक, स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है उपयोग उपभोग कर रहा हो। प्रार्थी ने उपरोक्त कथन केवल मात्र विपक्षी स. 1 से 4 के कुए में अवैध रूप से है अधिकारों को समाप्त करने की नीयत कपोल-कल्पित एवं झूठे अंकित किये है।

8. यह कि वर्णित साबिक आराजी न. 322 रकबा 01 बिघा 04 बिस्वा भूमि क. हुए नवीन खसरा न. 675, 677 किता 2 रकबा 0.2500 है भूमि में एवं खसरा 676 रकबा 0.0100 है भूमि मे यानि कि कुल किता 03 रकबा 0.2600 है मे प्रार्थी का 10/24 हिस्से अनुसार विपक्षी संख्या 1 से 4 का 6/24 हि. अनुसार एवं विपक्षी संख्या 5 का 8/24 हिस्से अनुसार ही खातेदारी अधि. एवं आधिपत्य है यानि कि नवीन खसरा न. 676 रकबा 0.0100 है आ. चाह भी प्रार्थी का 10/24 हिस्से अनुसार विपक्षी संख्या 1 से 4 का 6/24 हि. अनुसार एवं विपक्षी संख्या 5 का 8/24 हिस्से अनुसार ही उपयोग उपभोग तथा विपक्षी संख्या 1 से 4 अपने उपरोक्त 6/24 हिस्से अनुसार इस कुए मे पानी निकाल कर अपनी भूमि की पिलाई कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

9. प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया की ग्राम खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर की आराजी न. 675, 676, 677 किता 3 रकबा 0.2600 है भूमि प्रार्थी के नाम 10/24 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम 6/24 हिस्सा, विपक्षी संख्या 5 के नाम 8/24 हिस्सा दर्ज है। विपक्षी संख्या 1 से 4 रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी हैं फिर भी प्रार्थी अवैध रूप से विपक्षी संख्या 1 से 4 के हक अधिकारों को चुनौती दे रहा है एवं ऐलानिया धमकिया दे रहा है कि आ.चा. मे विपक्षी 1 से 4 अपने 6/24 हिस्से अनुसार उपयोग -उपभोग करना छोड दे नही तो भारी विवाद होगा जिससे विपक्षी द्वारा जरिये काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम 2 में अंकित आराजी न. 676 रकबा 0.0100 है आ.चा. में विपक्षी संख्या 1 से 4 के 6/24 हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करें बाधा नहीं पहुंचाये।

10. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि साबिक आराजी न. 322 के नवीन खसरा न. कायम करने का कथन स्वीकार है लेकिन विपक्षी स. 1 से 4 के नाम आराजी न. 676 बाबत् हिस्से का अंकन गलत है। पारिवारिक समझौता का कथन विपक्षी स. 1 व 2 ने गलत अंकित किया हैं ऐसा कोई पारिवारिक समझोते कभी भी नहीं हुआ है। जब कोई पारिवारिक समझोता ही नहीं हुआ तो हिरालाल का हिस्सा होने का सवाल ही पेदा नहीं होता है यह विदित रहे कि आराजी न. 322 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि एवं इस पर स्थिति हिरालाल का निजी कुआ का श्री हिरालाल मुतबना सुखलाल जणवा खातेदार काश्तकार था ओर खातेदार काश्तकार को अपनी खातेदारी भूमि एवं निजी कुआ को अपनी ईच्छा अनुसार रहन बेह बक्षीश आदि किसी से हस्तान्तरित करने का पुर्ण अधिकार प्राप्त होने से श्री हिरालाल मुतबना सुखलाल जणवा ने आराजी न. 322 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का 10/24 हिस्सा (यानि 10 बिस्वा) एवं इस पर स्थित आ. चाह सम्पुर्ण उदा पिता तारू जणवा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.11.2011 को विक्रय कर विक्रय पत्र का निष्पादन किया एवं दिनांक 23.11.2011 को विक्रय पत्र का पंजियन करवाया गया है जिसके अनुसार क्रेता उदा पिता तारू जणवा उक्त भूमि का 10/24 हिस्सा एवं आराजी चाह सम्पुर्ण को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तब से उक्त भूमि पर उदा पिता तारू जणवा काबिज को उक्त वर्णित क्रय सुदस सम्पुर्ण कुंए से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि की पिलाई एकान्तिक रूप से करता चला आ रहा था कि उदा पिता तारू जणवा ने उक्त आराजी का 10/24 हिस्सा एवं उक्त आराजी चाह सम्पुर्ण प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:24 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 26.07.2018 को रजिस्टर्ड दान पत्र से बक्षीस कर कब्जा प्रार्थी को सिपुर्द कर दिया तब से उक्त वर्णित आराजी न. 322 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का 10/24 हिस्सा एवं कुआ सम्पुर्ण पर प्रार्थी का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है।

11. यह कि हिरालाल द्वारा कुआ सम्पुर्ण उदा जी को विक्रय कर दिया गया एवं उदा द्वारा प्रार्थी को हस्तान्तरित कर दिया गया है तो हिरालाल का अथवा उसके वारिशान विपक्षी सं. 1 से 4 का किसी प्रकार को कोई हक अधिकार शेष नहीं रहता है और न ही उनका कोई एक हिस्सा शेष रहा है। जब हिरालाल का अथवा उसके वारिशान का कुआ में किसी प्रकार का कोई एक हिस्सा स्वत्व हित अधिकार एवं आधिपत्य ही नहीं होने तो उन्हें झूठे कहानी के आधार पर किसी प्रकार के कोई राहत प्राप्त नहीं होते है। विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

12. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है

I. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मूलवाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया तथा उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर बताया कि मौजा खरोदा पटवार हल्का खरोदा तहसील भीण्डर की साबिक आराजी न. 322 रकबा 1 बिघा 4 बिस्वा भूमि में से 10/24 हिस्सा यानि 10 बिस्वा भूमि एवं इस 10/24 हिस्सा भूमि पर स्थित कुंआ सम्पुर्ण को हिरालाल जी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2011 को उदा पिता तारू जाति जणवा को विक्रय किया एवं कब्जा सिपुर्द किया। उदा उर्फ उदयलाल पिता तारू जो कि प्रार्थी के गोद पिता होने से उक्त आराजी का 10/24 हिस्सा सम्पुर्ण एवं उस पर स्थित कुए का सम्पुर्ण भाग प्रार्थी को दिनांक 26.07.2018 रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर दान देकर कब्जा सिपुर्द किया तब से प्रार्थी का उक्त हिस्से पर उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं। यह कि नवीन सेटलमेंट के बाद साबिक आराजी न. 322 के नवीन आराजी न. में से कुए के आराजी 676 रकबा 0.0100 है. बने। उक्त कुए पर प्रार्थी का एकाधिकार था लेकिन नवीन सेटलमेंट के बाद नये आराजी न 676 में प्रार्थी का एकल नाम न रख कर उक्त आराजी में विपक्षी का नाम भी गलत अंकित कर दिया जिससे विपक्षी उक्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल करने व बेचने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा अपने जवाब में बताया कि यह कथन गलत है कि विपक्षी के पिता द्वारा उदा उर्फ उदयलाल को सम्पुर्ण कुंआ विक्रय किया गया हो बल्कि कुंए का 10/24 हिस्सा ही विक्रय किया है। साथ ही बताया कि आराजी न. 322 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि एवं इसमें स्थित कुंए में पारिवारिक समझौते से विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता श्री हिरालाल का 16/24 हिस्सा था तथा श्री उदा का 8/24 हिस्सा था। श्री हिरालाल द्वारा अपने 16/24 हिस्से में से 10/24 हिस्से श्री उदा को विक्रय कर दिया गया तथा इसके बाद श्री हिरालाल का 6/24 हिस्सा शेष रहा। पारिवारिक समझौते से श्री उदा का उपरोक्त आराजी न. व कुएं में जो 8/24 हिस्सा था, वह रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता/पति श्री हिरालाल के नाम पर दर्ज था जो विरासत से विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम पर दर्ज हो गया जिससे आपसी सहमती पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम पर दर्ज हो गया, जिससे आपसी सहमती पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा श्री उदा के उपरोक्त 8/24 हिस्से को विपक्षी संख्या 5 के नाम पर जरिये दान पत्र हस्तांतरित किया गया है एवं शेष 6/24 हिस्से पर विपक्षी संख्या 1 से 4 का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:24 IST
Reason: SelfAttested

किया। प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 23.11
से प्रथम दृष्टया पाया कि उक्त विक्रय पत्र में श्री हिरालाल पु. सुखलाल
जणवा द्वारा श्री उदा पिता तारू जाति जणवा को साबिक आराजी न
रकबा 1 बिघा 4 बिस्वा में से 10/24 हिस्सा विक्रय किया साथ ही विक्रय
में यह भी अंकित है कि उक्त विक्रित आराजी में स्थित आ चा का
विक्रय किया है। विपक्षी संख्या 1 से 4 प्रार्थनाग्रस्त भूमि में खातेदार
प्रार्थनाग्रस्त भूमि से अगर प्रार्थी को बेदखल किया जाता है या भूमि
हस्तान्तरण किया जाता है तो मौके व रेकर्ड की स्थिति में परिवर्तन होगा।
द्वारा मुल वाद घोषणा का प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी को पाबन्द किय
से उनको कोई नुकसानकारित प्रभाव नहीं पडेगा लेकिन प्रार्थी को अपूरण
क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है

II. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होन
अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

III. **सुविधा संतुलन** :–प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष
निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

13. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण
प्रार्थी द्वारा मूलवाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया तथा उसी
साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का
कर बताया कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर की साबि
आराजी न. 322 रकबा 1 बिघा 4 बिस्वा भूमि में से 10/24 हिस्सा यानि
बिस्वा भूमि एवं इस 10/24 हिस्सा भूमि पर स्थित कुंआ सम्पुर्ण को हिराल
जी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2011 को उदा पिता तारू जा
जणवा को विक्रय किया एवं कब्जा सिपुर्द किया। उदा उर्फ उदयलाल पि
तारू जो कि प्रार्थी के गोद पिता होने से उक्त आराजी का 10/24 हिस्
सम्पुर्ण एवं उस पर स्थित कुएं का सम्पुर्ण भाग प्रार्थी को दिनांक 26.07.201
रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर दान देकर कब्जा सिपुर्द किया तब से प्रार्थ
का उक्त हिस्से पर उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं। यह कि नवीन सेटलमे
के बाद साबिक आराजी न. 322 के नवीन आराजी न. में से कुंए के आराज
676 रकबा 0.0100 है. बने। उक्त कुंए पर प्रार्थी का एकाधिकार था लेकिन
नवीन सेटलमेंट के बाद नये आराजी न. 676 में प्रार्थी का एकल नाम न रख
कर उक्त आराजी में विपक्षी का नाम भी गलत अंकित कर दिया जिससे विपक्षी
उक्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल करने व बेचने पर आमादा है जिससे
विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी
संख्या 1, 2 द्वारा अपने जवाब में बताया कि यह कथन गलत है कि विपक्षी
संख्या 1 से 4 के पिता द्वारा उदा उर्फ उदयलाल को सम्पुर्ण कुंआ विक्रय किया
गया हो बल्कि कुंए का 10/24 हिस्सा ही विक्रय किया है। साथ ही बताया कि
आराजी न. 322 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि एवं इसमें स्थित कुंए में
पारिवारिक समझौते से विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता श्री हिरालाल का 16/24
हिस्सा था तथा श्री उदा का 8/24 हिस्सा था। श्री हिरालाल द्वारा अपने
16/24 हिस्से में से 10/24 हिस्से श्री उदा को विक्रय कर दिया गया तथा
इसके बाद श्री हिरालाल का 6/24 हिस्सा शेष रहा। पारिवारिक समझौते से
श्री उदा का उपरोक्त आराजी न. व कुएं में जो 8/24 हिस्सा था, वह रिकार्ड
में विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता/[illegible] हिरालाल के नाम पर दर्ज था जो
विरासत से विपक्षी संख्या [illegible] पर दर्ज हो गया जिससे आपसी
सहमती पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या [illegible] से 4 के नाम पर दर्ज हो गया,
जिससे आपसी सहमती पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा श्री उदा
के उपरोक्त 8/24 हिस्से को विपक्षी संख्या 5 के नाम पर जरिये दान पत्र
हस्तांतरित किया गया है एवं शेष 6/24 हिस्से पर विपक्षी संख्या 1 से 4 का
कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग है। प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:24 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2023 से प्रथम दृष्टया पाया कि उक्त विक्रय पत्र मे श्री हिरालाल मु सुखलाल जाति जणवा द्वारा श्री उदा पिता तारू जाति जणवा को सानिक आराजी न 322 रकबा 1 बिघा 4 बिस्वा मे से 10/24 हिस्सा विक्रय किया साथ ही विक्रय पत्र मे यह भी अंकित है कि उक्त विक्रित आराजी मे स्थित आ चा का सम्पुर्ण विक्रय किया है जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपुरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे निर्णित किये गय। अन्य बिन्दुओं को मुल वाद मे साक्ष्य संयुत के आधार पर तय किया जा सकता है। इस पत्रावली मे हमे निर्णय के लिये तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के तीनो बिन्दुओ के आधार पर निर्णय करना है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जा चुके है। अत: विपक्षी संख्या 1, 2 का काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप विपक्षी संख्या 1, 2 का काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत 2078–81 खाता संख्या नया 393 की आराजी न. 675, 676, 677 किता 3 रकबा 0.2600 है, भूमि में विपक्षीगण मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।
निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
भीण्डर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:24 IST
Reason: SelfAttested